

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
भोपाल-मंत्रालय

भोपाल दिनांक 20/5/2014

// संशोधन //

क्रमांक एफ 3-8/2014/26-2 विभागीय क्रमांक एफ 3-35-2008/26-2 दिनांक 08/08/2008 द्वारा निःशक्तजन अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा अयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना 2008 के तहत निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देश की कंडिका-4 में निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, के स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश स्थापित किया गया है।
अर्थात:-

(1) निःशक्त अभ्यर्थी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(भारती दशपुत्रे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 3-8/2014/26-2

दिनांक 20/5/2014

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, मानव मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
7. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
8. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय म0प्र0
9. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।

कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग